

विकास आयुक्त का कार्यालय
सीपूज - विशेष आर्थिक क्षेत्र, भारत सरकार
राजिज्य और उद्योग मंत्रालय, राजिज्य विभाग,
सीपूज सर्विस सेंटर बिल्डिंग, एमआइडीसी सेंट्रल रोड, अंधेरी (पूर्व),
मुंबई - 400096

सीपूज - सेज/एस.आइ./एमईआईसी-1/सीमाशुल्क/2015-16 / 37416 दिनांक 08.12.2016

सार्वजनिक सूचना संख्या 32 / 2016


विषय:- सीपूज - सेज से निर्यातों की कागजरहित सीमाशुल्क निकासी के संबंध में ।

सीपूज - सेज में निर्यात कार्गो के कागजरहित निकासी की प्रक्रिया लागू की गई है ।

निर्यात कार्गो के कागजरहित सीमाशुल्क निकासी की प्रक्रिया इस प्रकार होगी:-

- क) यूनिटों को सेज ऑनलाइन के जरिए शिपिंग बिल फाइल करना होगा तथा बीजक की प्रतिलिपि के साथ वरिष्ठ प्राधिकृत अधिकारी (मूल्य निर्धारण) को रिक्वेस्ट आइडी की सूचना देनी होगी ।
- ख) वरिष्ठ प्राधिकृत अधिकारी (मूल्य निर्धारण) सेज ऑनलाइन के जरिए शिपिंग बिलों का मूल्य निर्धारण करेंगे ।
- ग) यूनिट एमएमटीसी / जांच केंद्र में तैनात प्राधिकृत अधिकारी (मूल्य निर्धारण) से पैकजॉरिक्वेस्ट आइडी तथा पैकिंग सूची के साथ संपर्क करेंगे ।
- घ) प्राधिकृत अधिकारी (मूल्य निर्धारण) शिपिंग बिलों के संबंध में पैकजों पर दिए गए चिन्हों / नंबरों तथा अन्य ब्यौरों की जांच करेंगे तथा सेज ऑनलाइन के जरिए एलईओ जारी करेंगे ।
- ङ.) बहुमूल्य कार्गो के मामले में यूनिट एमएमटीसी को पैकेज भेजेंगे जो सेज ऑनलाइन के जरिए प्रदान किए गए एलईओ की जांच करने के पश्चात उन्हें स्वीकार करेंगे । सामान्य कार्गो होने की स्थिति में ऑनलाइन चिन्हों / नंबरों तथा अन्य ब्यौरों की जांच करने की पश्चात कार्गो पार्टी के प्रतिनिधि को निर्यात प्रयोजन के लिए आगे अंतरण हेतु सौंप दिया जाएगा ।
- च) यह निर्णय लिया गया है कि सीमाशुल्क प्रति (मूल) तथा निर्यातक प्रतिलिपि (दूसरी प्रति) की रूटीन प्रिंटिंग बंद कर दी जाए । चूंकि सेज ऑनलाइन प्रणाली भारतीय रिजर्व बैंक के ईडीपीएमएस (निर्यात डाटा संसाधन तथा अनुरक्षण प्रणाली) के साथ एकीकृत है जिसके द्वारा प्राधिकृत डाटा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ साझा किया जाता है, अतः शिपिंग बिल की एक्सजेज कंट्रोल कॉपी (तीन प्रतियाँ) तथा एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉपी (चार प्रतियाँ) का मुद्रण तथा इन पर सीमाशुल्क अधिकारियों के हस्ताक्षर आवश्यक नहीं है ।
- थ) इस आदेश के कार्यान्वयन में होने वाली किसी प्रकार की कठिनाई अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में लाई जाए ।

यह विकास आयुक्त, सीपूज - सेज के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।


(विजय प्रकाश शुक्ल)
संयुक्त विकास आयुक्त
सीपूज - सेज

प्रतिलिपि:-

- 1) सभी यूनिट, सीपूज - सेज
- 2) सचिव, एसजीजेएमए
- 3) संबंधित अधिकारी
- 4) सूचना पृष्ठ / वेबसाइट

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE, GOVERNMENT OF INDIA,
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY, DEPARTMENT OF COMMERCE
SEEPZ SERVICE CENTRE BLDG, MIDC CENTRAL ROAD, ANDHERI (EAST),
MUMBAI - 400 096

F. No. SEEPZ-SEZ/S.I/Misc-151/Customs/2015-16

Date : 08.12.2016

PUBLIC NOTICE NO. 32 / 2016 | 37416

SUB:- Paperless Customs clearance of Exports from SEEPZ-SEZ - reg.

- A paperless clearance of export cargo has been introduced in the SEEPZ-SEZ.
- The procedure for paperless Customs clearance of Exports cargo will be as follows:-
- The Units shall file Shipping Bills in SEZ Online and intimate the Request ID to the Sr A.O (A) alongwith copy of Invoice.
 - The Sr AO (A) will assess the S/B in SEZ Online.
 - The Units shall approach the AO (A) in MMTC / Examination Centre with the packages, Request IDs and Packing List.
 - The AO (A) will check the marks / numbers and other particulars on the packages with respect to the Shipping Bill and grant LEO in SEZ Online.
 - For precious cargo the units shall submit the packages to MMTC, who will accept the same after verifying grant of LEO in SEZ Online. In case of general cargo after verification of marks/numbers and other particulars online, the cargo will be handed over to party's representative for further transfer for export purpose.
 - It has been decided to do away with routine printing of Customs copy (original) & Exporters copy (duplicate copy). Since SEZ Online system is integrated with the EDPMS (Export Data Processing and Monitoring System) of RBI whereby details of Authorised Dealer is shared with RBI, therefore the printing of and/or signature of Customs officers on Exchange Control copy (Triplicate) & Export Promotion copy (Quadruplicate) of the Shipping Bill is not required.
 - Any difficulty in implementing the order may be brought to the notice of the undersigned.

This issues with the approval of the Development Commissioner, SEEPZ-SEZ.



(V. P. Shukla)
Joint Development Commissioner
SEEPZ-SEZ, Mumbai

Copy to:-

- 1) All Units in SEEPZ-SEZ
- 2) The Secretary, SGJMA.
- 3) Concerned Officers
- 4) Notice Board / Website.